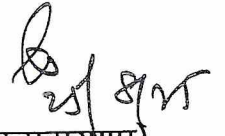


कार्यालय ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.09.2017 के अनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने का प्राविधान है।

यातायात निदेशालय में नियुक्त जनसूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप यातायात निदेशालय से कार्यमुक्त हो जाने के कारण जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है—

नाम— श्री सरोज कुमार
पदनाम— पुलिस उपाधीक्षक (गोपनीय)
मोबाइल नं०— 9454458165
पता— उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग), चतुर्थ तल,
टावर-4, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ पिनकोड-226002
ईमेल आईडी— dirtraffic@nic.in
फोन नं०— 0522-2390468, 9454402555
फैक्स— 0522-2724054


(के० सत्यनारायणा)

निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक
यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग)
चतुर्थ तल, टावर-4 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

फोन: 0522-2390468 फैक्स: 0522-2724054

ईमेल— dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या: डीटी-854-2017/2660

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 25, 2025

प्रतिलिपि: पुलिस उपाधीक्षक (गोपनीय)/जनसूचना अधिकारी, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

✓ प्रतिलिपि: प्रभारी आई0टी0 सेल, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त की प्रति यातायात निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।